मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2463
08 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण

2463 # **श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कितनी परियोजनाओं को भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत कराया गया है;
(ख) क्या 'डीडीए' परियोजनाओं को 'रेरा' में पंजीकृत नहीं करवाकर नियमों का उल्लंघन कर रहा है;
(ग) 'रेरा' के अंतर्गत 'डीडीए' की कितनी परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु अनुरोध किए गए हैं और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) आवास निर्माण से जुड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों पर 'रेरा' में पंजीकरण नहीं करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2019 से दिल्ली के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष 18 परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। दिल्ली विनियामक प्राधिकरण ने आवेदनों को संसाधित करने के बाद, डीडीए को कुछ कमियों से अवगत कराया। इसके बाद, डीडीए ने भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा] के तहत परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के विरुद्ध प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया, जिसे विनियामक प्राधिकरण ने

दिनांक 20.12.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया और डीडीए को पंजीकरण हेतु उनके आवेदन में कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिया। डीडीए ने रेरा के तहत डीडीए परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के विरुद्ध भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है। अभी तक रेरा के तहत डीडीए की कोई परियोजना पंजीकृत नहीं हुई है।

(घ): रेरा की धारा 3 प्रमोटर द्वारा किसी भी विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश, या किसी भी तरीके से खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पहले भू-संपदा परियोजना के पंजीकरण को अधिदेशित करती है। इसके अलावा, रेरा की धारा 59 भू-संपदा परियोजना के गैर-पंजीकरण के मामले में प्रमोटर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। रेरा के तहत परियोजनाओं का पंजीकरण न करने के लिए निजी क्षेत्र की भू संपदा कंपनियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भू संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित डेटा/सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

***